राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ ( )लेखा/निकाशि/मु.उ.शि.ऋ.अ.यो./2013/241 दिनांक 11.01.13

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान योजना 2013

1— **योजना :—**

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में आने वाले प्रथम 1.00 लाख छात्रों के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना लागू की गई है। ऐसे छात्र/छात्राओं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रूपये) तक है तथा जिन्हें और कोई छात्रवृति अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है, उन्हें इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है । उक्त योजना की निरन्तरता में ही ऐसे विद्यार्थियों द्वारा उच्च शिक्षा हेतु 10.00 लाख रूपये तक ऋण लेने व उसकी देय किश्तों का नियमित भुगतान करने की दशा में उन्हें 5 प्रतिशत राशि का ब्याज अनुदान दिया जावेगा ।

इस योजनान्तर्गत उच्च शिक्षा का अभिप्रायः होगा 12वीं कक्षा पश्चात राज्य की किसी भी मान्यता प्राप्त उच्च शैक्षणिक संस्था में नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययन करना जैसे स्नातक/स्नातकोत्तर/अभियांत्रिकी/एम.बी.ए./एम.सी.ए./पोलोटेक्निक/चिकित्सकीय पाठ्यक्रम आदि होगा जिसमें नियमित अवधि कम से कम दो वर्ष की हो ।

2— **योजना का नाम :—**

इस योजना का नाम मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान योजना 2013 होगा ।

3— **उद्देश्य :—**

इस योजना का उद्देश्य अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

4— **योजनान्तर्गत लाभ :—**

(अ) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरीयता सूची में पात्र अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों जिनके द्वारा उच्च शिक्षण अध्ययन हेतु ऋण लिया गया है एवं उसकी किश्तों का नियमित भुगतान किया जा रहा है उन्हें ऋण के ब्याज में 5 प्रतिशत अनुदान के रूप में वार्षिक भुगतान किया जावेगा । यह लाभ रूपये 10.00 लाख तक लिये गये ऋण राशि पर देय ब्याज हेतु सीमित होगा ।

(ब) इस योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र/छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षों तक ही लाभ प्रदत्त किया जावेगा एवं यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड दिया जाता है अथवा ऋण राशि का भुगतान 5 वर्षों से पूर्व कर दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा ।

(स) ब्याज अनुदान बैंक को ही भुगतान किया जावेगा । उक्त अनुदान का भुगतान बैंक द्वारा इस प्रमाणीकरण के उपरांत किया जावे कि ऋण समय पर भुगतान हो चुका है।

(द) इस संबंध में एक त्रिपक्षीय अनुबंध बैंक, सरकार एवं ऋणी के मध्य होगा । ऋण भुगतान में डिफाल्टर की दशा में पूर्व में प्रदत्त अनुदान राशि पुनः वसूली योग्य होगी । अनुदान वापसी का दायित्व बैंक का होगा जिसको सीधा राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया गया हो ।

(य) उच्च शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत राशि का ब्याज अनुदान दिया जायेगा अर्थात् यदि विद्यार्थी ने 10 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण लिया है तो देय ब्याज में से 5 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा एवं शेष 5 प्रतिशत ऋणार्थी को वहन करना होगा ।

(र) ब्याज अनुदान की देयता को Moratorium Period में बैंको से ऋण प्राप्त कर नियमित अध्ययन करने पर कोर्स अवधि के एक वर्ष पश्चात अथवा जॉब प्राप्ति के छः माह जो भी पहले हो तक ही ब्याज अनुदान दिया जावेगा ।

(ल) यदि ऋणदाता बैंक द्वारा Moratorium Period में ब्याज की वसूली की जाती है, तो देय ब्याज में से 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान को वार्षिक रूप से सरकार द्वारा सीधा बैंक को ही भुगतान किया जावे । उक्त अनुदान का भुगतान बैंक द्वारा इस प्रमाणीकरण के उपरांत किया जावे कि ऋण के शेष ब्याज का भुगतान ऋणी द्वारा समय पर किया जा चुका है। इस संबंध में एक त्रिपक्षीय अनुबंध बैंक, सरकार एवं ऋणी के मध्य हो कि ऋण भुगतान में डिफॉल्ट की दशा में पूर्व में प्रदत्त अनुदान राशि पुनः वसूली योग्य होगी । इस अनुदान वापसी का दायित्व बैंक का रहेगा । जिसको सीधा राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया गया है ।

(व) यदि किन्हीं बैंको द्वारा Moratorium Period में ब्याज की वसूली नहीं की जाकर Moratorium Period में ऋणी के खाते में Debit की जाती है, तो ऐसे प्रकरणों में Moratorium Period के उपरांत ऋणी द्वारा शेष ब्याज का भुगतान (5 प्रतिशत अनुदान राशि को छोडते हुए) यदि निर्धारित समय में कर दिया जाता है, तो देय 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की एकमुश्त राशि भी बैंक को भुगतान की जा सकेगी ।

6— **पात्रता :—**

(1) इस योजना का लाभ उन छात्र/छात्राओं को देय होगा जिनके द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त की गई है ।

(2) विद्यार्थी द्वारा भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी अन्य संस्थान से पूर्व में बैंक से ऋण नहीं लिया हो तथा किसी तरह का दोषी (डिफाल्टर) नहीं रहा हों ।

(3) उसे अन्य कोई छात्रवृति/प्रोत्साहन राशि (राजस्थान सरकार/भारत सरकार) नहीं मिल रही हों ।

(4) उसके द्वारा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उच्च शिक्षा हेतु ऋण लिया गया हों ।

6— **आवेदन :—**

शैक्षणिक सत्र जुलाई में आरम्भ होने पर निदेशक, कॉलेज शिक्षा के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाकर इस योजनान्तर्गत आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में मांगें जावेंगे । इसका विवरण व आवेदन फार्म का प्रारूप निदेशक, कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट पर भी होगा ।

नियमित अध्ययनरत छात्र/छात्रा अगर इस योजनान्तर्गत पात्रता के लिए उल्लेखित समस्त शर्तो की पूर्ति करते हो तो निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्ति कर अपने महाविद्यालय/तकनीकी शिक्षण संस्थान (जिसमें वह उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत है) के प्राचार्य को अगस्त 1—20 तक प्रस्तुत करेंगे ।

संस्था प्रधान आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों का सत्यापन कर अपने जिले के नोडल अधिकारी को 31 अगस्त तक प्रेषित करेंगे ।

7— **स्वीकृति :—**

संबंधित नोडल अधिकारी अपने जिले से सम्बन्धित प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का पुनः परीक्षण करेंगे । उस जिले में योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु पात्र कुल छात्र संख्या से निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को सूचित करेंगे एवं निदेशालय से प्राप्त अनुमति पश्चात् स्वीकृति जारी कर सम्बन्धित छात्र/छात्रा एवं बैंक को स्वीकृति की प्रति प्रेषित करेंगे ।

स्वीकृत संख्या अनुसार निदेशालय द्वारा नोडल अधिकारी को बजट स्वीकृत किया जावेगा एवं नोडल अधिकारी द्वारा तदानुसार बैंक को चयनित छात्रों/छात्राओं के बैंक खाते में वार्षिक ऋण पर ब्याज अनुदान का भुगतान करने के निर्देश दिये जावेंगे ।

8– **ऋण अनुदान की निरन्तरता की प्रकिया :–**

ऋण अनुदान राशि का भुगतान पॉच वर्ष की अवधि अथवा उच्च/ तकनीकी अध्ययन जारी रखने अथवा ऋण राशि का भुगतान करने तक , जो भी पहले हों देय होगी । परन्तु चयनित छात्र को प्रति वर्ष इसका नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा, जिससे कि यह प्रमाणित किया जा सके कि नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी की उच्च शिक्षा जारी है ।

इस हेतु छात्र/छात्रा को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भर कर अपने संस्था प्रधान को अगस्त 20 तक प्रस्तुत करना होगा । आवेदन पत्र के साथ पूर्व वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक तालिका की प्रति संलग्न हों तथा गत वर्ष चुकाये गये मूल ऋण एवं ब्याज राशि का अलग अलग उल्लेख हों । संस्था प्रधान सत्यापित कर आवेदन पत्र को नोडल अधिकारी को दिनांक 31 अगस्त तक प्रेषित कर देंगे ।

(राजीव स्वरूप)
प्रमुख शासन सचिव
उच्च शिक्षा, राजस्थान

क्रमांक एफ ( )लेखा/निकाशि/मु.उ.शि.ऋ.अ.यो./2013/242-247 दिनांक 11-07

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा ।
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. समस्त नोडल अधिकारी ।
6. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय .....
7. वेबसाइट अपलोड हेतु

निदेशक
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान